उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) अधिनियम, 1999

(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 28, 1999)

उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) अधिनियम, 1999

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, सन् 1999]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित, भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 1999 को अनुमति प्रदान की गयी और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1999 के रूप में दिनांक 28 जुलाई, 1999 को उ0 प्र0 गजट असाधारण में प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) अधिनियम, 1999 को निरसित करने के लिए –

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा।

(2) यह 5 मई, 1999 में प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 194 का निरसन

2–उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल अधिनियम, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन

3–उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) अध्यादेश, 1999 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।